

(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (भरतपुर)

श्री दत्ताराम पुत्र सुब्रह्मी गुजर निवासी गुलमानी तहसील नगर जिला भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय विजयसिंह बनाम मुस० शांति वगै० दिनांक 11/19 किस्म मुकदमा : 212 आर.टी.एक्ट	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
-------------	--	--

03.19 आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी विजयसिंह ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत अपने मूल दावा के साथ पेश किया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री हकमुद्दीन की एक पक्षीय बहस बाबत करने स्थगन आदेश सुनी। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं अप्रार्थीगण मुस० शांति वगै० को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे आगामी दिनांक 28.03.2019 तक आ.ख.नं. 374/0.51 बाके ग्राम भटपुरा तहसील नगर की की बावत अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदारी भूमि के किसी विशिष्ट भू-भाग का विक्रय, दान आदि न करें, इस आदेश के जारी रहने में कोई आपत्ति हो तो इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। टी.आई जारी हो। पत्रावली दिनांक 28.03.2019 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर)
13.5.19

पुत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र कुमालिका से तलब की गई।
धार्मी द्वारा अपना दावा विशिष्ट किया जा चुका है।
इस प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र विशिष्ट किया जाकर
शामिल पुत्रावली से पुत्रावली फेल्सु सुमार होकर दाखिल
दफ्तर है।

विजयसिंह
[Signature]

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

अपना छाता अलग-अलग करा पाने की घोषणा करा पाने के अधिकारी है।
यह है कि असल गैरसायल सं. 1 ने